

प्रेषक,

मुख्य कारखाना निरीक्षक, उत्तराखण्ड,
श्रम भवन नैनीताल रोड, हल्द्वानी ।

सेवामें,

श्री आलोक कुमार तिवारी,
प्रोपराईटर/निदेशक,
मै0 के0आर0 टैक्नोसेफ इंजीनियर्स,
द्वितीय तल, 9 ऑफिस स्पेस, ओमेक्स एवेन्यू,
रायबरेली रोड, लखनऊ

पत्र सं0 126 एफ/स0व्य0/धारा-21,28,29,31

दिनांक : 12/2/2024

विषय:- कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-21, 28, 29 एवं 31 के अन्तर्गत सक्षमता प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया आप अपने पत्र दिनांक : 19.12.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-21, 28, 29, तथा 31 के अन्तर्गत सक्षम व्यक्ति के प्रमाण पत्र के नवीनीकरण किए जाने हेतु इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

उक्त सम्बन्ध सूचनीय है कि आपके अनुरोध पर आपको दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2025 तक की अवधि के लिये कारखाना अधिनियम 1948 की धारा- 21, 28, 29 तथा 31 के अन्तर्गत सक्षम व्यक्ति का प्रमाण पत्र जारी कर इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार ।

भवदीया

(दीप्ति सिंह)

मुख्य कारखाना निरीक्षक, उत्तराखण्ड,
श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी ।

दिनांक :

पत्र सं0

एफ/उक्त/

प्रतिलिपि:- सहायक निदेशक कारखाना/ब्यायलर, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित ।

(दीप्ति सिंह)

मुख्य कारखाना निरीक्षक, उत्तराखण्ड,
श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी ।

कार्यालय मुख्य कारखाना निरीक्षक उत्तराखण्ड, श्रम भवन हल्द्वानी

प्रमाण पत्र सं०-126-एफ/स० प्र० उत्तराखण्ड /
धारा 21(2)-"खतरनाक मशीनें"/2024 दिनांक:-12/2/2024

सक्षमता का प्रमाण पत्र (धारा -2 (ग क) के अधीन बनाये गये नियम-2 क)

मैं दीप्ति सिंह, मुख्य कारखाना निरीक्षक उत्तराखण्ड, कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2 (ग क) और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एतद्वारा धारा-21(2) और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन उत्तराखण्ड में अवस्थित किसी कारखाने में प्रयोग होने वाले ऐसे "खतरनाक मशीनों" एवं ऐसी अन्य प्रक्रिया या संयंत्र और उपस्कर जैसी भी दशा में हो के लिये परीक्षण, परीक्षा, निरीक्षण और प्रमाणन करने के प्रयोजन के लिये:-

संस्था मै० के०आर० टैक्नोसेफ इंजीनियर्स, द्वितीय तल, 9 ऑफिस स्पेस,

ओमेक्स एवेन्यू, रायबरेली रोड, लखनऊ के

श्री आलोक कुमार तिवारी, निदेशक धारा-21(2)

को उनके सम्मुख अंकित धारा के प्रयोजनार्थ "सक्षम व्यक्ति" की मान्यता देती हूँ।

यह प्रमाण पत्र दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2025 तक विधि मान्य है।

यह प्रमाण पत्र नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुये जारी किया जाता है।

1. परीक्षा, परीक्षण और निरीक्षण अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार किये जायेंगे।
 2. परीक्षा परीक्षण और निरीक्षण सक्षम व्यक्ति के सीधे पर्यवेक्षण में या सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा किये जायेंगे।
 3. किसी व्यक्ति के पक्ष में जारी किया गया सक्षमता का प्रमाण पत्र रद्द हो जायेगा, यदि व्यक्ति अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित संगठन को छोड़ देता है।
 4. संस्था/सक्षम व्यक्ति द्वारा कारखाने में उपकरणों के परीक्षण की तिथि/अवधि से सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक निदेशक कारखाना/ब्यायलर को परीक्षण की तिथि से पूर्व लिखित रूप से अवगत कराया जाएगा।
 5. "सक्षम व्यक्ति" के रूप में मान्यता प्राप्त संस्था परीक्षा परीक्षण और निरीक्षण करने के लिये अपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम, पदनाम और अर्हताओं से मुख्य निरीक्षक को सूचित करता रहेगा।
 6. "सक्षम व्यक्ति" द्वारा जारी किये गये परीक्षा, परीक्षण और निरीक्षण प्रमाण पत्र एवं उनकी प्रतियों पर सक्षमता प्रमाण पत्र सं० 126-एफ/स० प्र० उत्तराखण्ड/धारा-21(2)/खतरनाक मशीनें/2024 निश्चित रूप से अंकित किया जायेगा।
 7. परीक्षा, परीक्षण और निरीक्षण का प्रमाण पत्र संस्था मै० के०आर० टैक्नोसेफ इंजीनियर्स, द्वितीय तल, 9 ऑफिस स्पेस, ओमेक्स एवेन्यू, रायबरेली रोड, लखनऊ के श्री आलोक कुमार तिवारी (प्रोपराईटर) द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।
 8. "सक्षम व्यक्ति"/संस्था द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले उपकरणों को निरंतर अच्छी एवं कार्य योग्य दशा में बनाये रखा जायेगा और समय समय पर कैलिब्रेट भी किया जाता रहेगा तथा उसका प्रमाण पत्र कैलिब्रेशन के 15 दिन के अंदर मुख्य कारखाना निरीक्षक उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जायेगा।
 9. "सक्षम व्यक्ति" द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्रों की सूची जिसमें कारखानों के नाम एवं उपकरणों के विवरण की सूचना हो, प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने के 10 दिन के अन्दर मुख्य कारखाना निरीक्षक उत्तराखण्ड को निश्चित रूप से प्रेषित किया जायेगा।
 10. कारखाना परिसर में उक्त धारा से सम्बन्धित उपकरणों के परीक्षण किये जाते समय स्वयं व कारखाने के अधिष्ठाता/प्रबन्धक/सैफटी आफीसर के साथ परीक्षण स्थल के सम्मुख खड़े होकर एक फोटो ग्राफ, तथा सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी किये जाने वाले सक्षमता प्रमाण पत्र पर Serial No- अंकित हो, की प्रति के साथ E-mail द्वारा मुख्य कारखाना निरीक्षक को एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।
- स्थान - हल्द्वानी।
दिनांक:-


(दीप्ति सिंह)

मुख्य कारखाना निरीक्षक, उत्तराखण्ड,
श्रम भवन, हल्द्वानी नैनीताल।

कार्यालय मुख्य कारखाना निरीक्षक उत्तराखण्ड, श्रम भवन हल्द्वानी

प्रमाण पत्र सं०...126...एफ/स० प्र० उत्तराखण्ड /
धारा-28/ "लिफ्ट हाईस्ट" /2024 दिनांक :- 12/2/2024

सक्षमता का प्रमाण पत्र

(धारा -2 (ग क) के अधीन बनाये गये नियम-2 क)

मैं दीप्ति सिंह, मुख्य कारखाना निरीक्षक उत्तराखण्ड, कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2 (ग क) और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एतद्वारा धारा-28 और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन उत्तराखण्ड में अवस्थित किसी कारखाने में प्रयोग होने वाले ऐसे लिफ्टों, उत्तोलकों ऐसी अन्य प्रक्रिया या संयंत्र और उपस्कर जैसी भी दशा में हो के लिये परीक्षण, परीक्षा, निरीक्षण और प्रमाणन करने के प्रयोजन के लिये:-

संस्था मै० के०आर० टैक्नोसेफ इंजीनियर्स, द्वितीय तल, 9 ऑफिस स्पेस,

ओमेक्स एवेन्यू, रायबरेली रोड, लखनऊ के

श्री आलोक कुमार तिवारी,

निदेशक

धारा-28

को उनके सम्मुख अंकित धारा के प्रयोजनार्थ "सक्षम व्यक्ति" की मान्यता देती हूँ।

यह प्रमाण पत्र दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2025 तक विधि मान्य है।

यह प्रमाण पत्र नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुये जारी किया जाता है।

1. परीक्षा परीक्षण और निरीक्षण अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार किये जायेंगे
 2. परीक्षा परीक्षण और निरीक्षण सक्षम व्यक्ति के सीधे पर्यवेक्षण में या सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा किये जायेंगे।
 3. किसी व्यक्ति के पक्ष में जारी किया गया सक्षमता का प्रमाण पत्र रद्द हो जायेगा, यदि व्यक्ति अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित संगठन को छोड़ देता है।
 4. संस्था/सक्षम व्यक्ति द्वारा कारखाने में उपकरणों के परीक्षण की तिथि/अवधि से सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक निदेशक कारखाना/ब्यायलर को परीक्षण की तिथि से पूर्व लिखित रूप से अवगत कराया जाएगा।
 5. सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त संस्था परीक्षा परीक्षण और निरीक्षण करने के लिये अपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम, पदनाम और अर्हताओं से मुख्य निरीक्षक को सूचित करता रहेगा।
 6. "सक्षम व्यक्ति" द्वारा जारी किये गये परीक्षा, परीक्षण और निरीक्षण प्रमाण पत्र एवं उनकी प्रतियों पर सक्षमता प्रमाण पत्र सं०...126...एफ/स०प्र० उत्तराखण्ड/धारा-28/लिफ्ट हाईस्ट/2024 निश्चित रूप से अंकित किया जायेगा।
 7. परीक्षा परीक्षण और निरीक्षण का प्रमाण पत्र संस्था मै० के०आर० टैक्नोसेफ इंजीनियर्स, द्वितीय तल, 9 ऑफिस स्पेस, ओमेक्स एवेन्यू, रायबरेली रोड, लखनऊ के श्री आलोक कुमार तिवारी (प्रोपराईटर) द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।
 8. "सक्षम व्यक्ति"/संस्था द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले उपकरणों को निरंतर अच्छी एवं कार्य योग्य दशा में बनाये रखा जायेगा और समय समय पर कैलिब्रेट भी किया जाता रहेगा तथा उसका प्रमाण पत्र कैलिब्रेशन के 15 दिन के अंदर मुख्य कारखाना निरीक्षक उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जायेगा।
 9. "सक्षम व्यक्ति" द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्रों की सूची जिसमें कारखानों के नाम एवं उपकरणों के विवरण की सूचना हो, प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने के 10 दिन के अन्दर मुख्य कारखाना निरीक्षक उत्तराखण्ड को निश्चित रूप से प्रेषित किया जायेगा।
 10. कारखाना परिसर में उक्त धारा से सम्बन्धित उपकरणों के परीक्षण किये जाते समय स्वयं व कारखाने के अधिष्ठाता/प्रबन्धक/सैफटी आफीसर के साथ परीक्षण स्थल के सम्मुख खड़े होकर एक फोटो ग्राफ, तथा सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी किये जाने वाले सक्षमता प्रमाण पत्र पर Serial No- अंकित हो, की प्रति के साथ E-mail द्वारा मुख्य कारखाना निरीक्षक को एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।
- स्थान - हल्द्वानी।
दिनांक:-


(दीप्ति सिंह)

मुख्य कारखाना निरीक्षक, उत्तराखण्ड,
श्रम भवन, हल्द्वानी नैनीताल।

कार्यालय मुख्य कारखाना निरीक्षक उत्तराखण्ड, श्रम भवन हल्द्वानी।

प्रमाण पत्र सं०...1.2.6.....एफ/स०प्र० उत्तराखण्ड /
धारा-29/“लिफिटिंग टैकिल्स”/2024 दिनांक :- 12/12/2024

सक्षमता का प्रमाण पत्र

(धारा -2 (ग क) के अधीन बनाये गये नियम-2 क)

मैं दीप्ति सिंह, मुख्य कारखाना निरीक्षक उत्तराखण्ड, कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा -2 (ग क) और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एतद्वारा धारा-29 और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन उत्तराखण्ड में अवस्थित किसी कारखाने में प्रयोग होने वाले ऐसे लिफिटिंग मशीनों, लिफिटिंग टैकिलों ऐसी अन्य प्रक्रिया या संयंत्र और उपस्कर जैसी भी दशा में हो के लिये परीक्षण, परीक्षा, निरीक्षण और प्रमाणन करने के प्रयोजन के लिये:-

संस्था मै० के०आर० टैक्नोसेफ इंजीनियर्स, द्वितीय तल, 9 ऑफिस स्पेस,
ओमेक्स एवेन्यू, रायबरेली रोड, लखनऊ के

श्री आलोक कुमार तिवारी, निदेशक धारा-29

को उनके सम्मुख अंकित धारा के प्रयोजनार्थ “सक्षम व्यक्ति” की मान्यता देती हूँ।

यह प्रमाण पत्र दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2025 तक विधि मान्य है।

यह प्रमाण पत्र नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुये जारी किया जाता है।

1. परीक्षा परीक्षण और निरीक्षण अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार किये जायेंगे
 2. परीक्षा परीक्षण और निरीक्षण सक्षम व्यक्ति के सीधे पर्यवेक्षण में या सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा किये जायेंगे।
 3. किसी व्यक्ति के पक्ष में जारी किया गया सक्षमता का प्रमाण पत्र रद्द हो जायेगा, यदि व्यक्ति अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित संगठन को छोड़ देता है।
 4. संस्था/सक्षम व्यक्ति द्वारा कारखाने में उपकरणों के परीक्षण की तिथि/अवधि से सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक निदेशक कारखाना/ब्यायलर को परीक्षण की तिथि से पूर्व लिखित रूप से अवगत कराया जाएगा।
 5. सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त संस्था परीक्षा परीक्षण और निरीक्षण करने के लिये अपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम, पदनाम और अर्हताओं से मुख्य निरीक्षक को सूचित करता रहेगा।
 6. “सक्षम व्यक्ति” द्वारा जारी किये गये परीक्षा, परीक्षण और निरीक्षण प्रमाण पत्र एवं उनकी प्रतियों पर सक्षमता प्रमाण पत्र सं०...1.2.6.....एफ/स०प्र० उत्तराखण्ड/धारा-29/लिफिटिंग टैकिल्स/2024 निश्चित रूप से अंकित किया जायेगा।
 7. परीक्षा परीक्षण और निरीक्षण का प्रमाण पत्र संस्था मै० के०आर० टैक्नोसेफ इंजीनियर्स, द्वितीय तल, 9 ऑफिस स्पेस, ओमेक्स एवेन्यू, रायबरेली रोड, लखनऊ के श्री आलोक कुमार तिवारी (प्रोपराईटर) द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।
 8. “सक्षम व्यक्ति”/संस्था द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले उपकरणों को निरंतर अच्छी एवं कार्य योग्य दशा में बनाये रखा जायेगा और समय समय पर कैलिब्रेट भी किया जाता रहेगा तथा उसका प्रमाण पत्र कैलिब्रेशन के 15 दिन के अंदर मुख्य कारखाना निरीक्षक उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जायेगा।
 9. “सक्षम व्यक्ति” द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्रों की सूची जिसमें कारखानों के नाम एवं उपकरणों के विवरण की सूचना हो, प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने के 10 दिन के अन्दर मुख्य कारखाना निरीक्षक उत्तराखण्ड को निश्चित रूप से प्रेषित किया जायेगा।
 10. कारखाना परिसर में उक्त धारा से सम्बन्धित उपकरणों के परीक्षण किये जाते समय स्वयं व कारखाने के अधिष्ठाता/प्रबन्धक/सैप्टी आफीसर के साथ परीक्षण स्थल के सम्मुख खड़े होकर एक फोटो ग्राफ, तथा सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी किये जाने वाले सक्षमता प्रमाण पत्र पर Serial No- अंकित हो, की प्रति के साथ E-mail द्वारा मुख्य कारखाना निरीक्षक को एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।
- स्थान - हल्द्वानी।
दिनांक:-


(दीप्ति सिंह)

मुख्य कारखाना निरीक्षक, उत्तराखण्ड,
श्रम भवन, हल्द्वानी नैनीताल।

कार्यालय मुख्य कारखाना निरीक्षक उत्तराखण्ड, श्रम भवन हल्द्वानी।

प्रमाण पत्र सं०-126...एफ/स० प्र० उत्तराखण्ड/
धारा-31/"प्रे०प्लान्ट"/2024 दिनांक:-12/2/2024

सक्षमता का प्रमाण पत्र (धारा -2 (ग क) के अधीन बनाये गये नियम-2 क)

मैं दीप्ति सिंह, मुख्य कारखाना निरीक्षक उत्तराखण्ड कारखाना अधिनियम 1948 की धारा-2 (ग क) और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एतद्वारा धारा -31 और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन उत्तराखण्ड में अवस्थित किसी कारखाने में प्रयोग होने वाले ऐसे प्रे० प्लान्ट ऐसी अन्य प्रक्रिया या संयंत्र और उपस्कर जैसी भी दशा में हों के लिये परीक्षण, परीक्षा, निरीक्षण और प्रमाणन करने के प्रयोजन के लिये:-

संस्था मै० के०आर० टैक्नोसेफ इंजीनियर्स, द्वितीय तल, 9 ऑफिस स्पेस,

ओमेक्स एवेन्यू, रायबरेली रोड, लखनऊ के

श्री आलोक कुमार तिवारी,

निदेशक

धारा-31

को उनके सम्मुख अंकित धारा के प्रयोजनार्थ "सक्षम व्यक्ति" की मान्यता देती हूँ।

यह प्रमाण पत्र दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2025 तक विधि मान्य है।

यह प्रमाण पत्र नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुये जारी किया जाता है।

1. परीक्षा परीक्षण और निरीक्षण अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार किये जायेंगे।
2. परीक्षा परीक्षण और निरीक्षण सक्षम व्यक्ति के सीधे पर्यवेक्षण में या सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा किये जायेंगे।
3. किसी व्यक्ति के पक्ष में जारी किया गया सक्षमता का प्रमाण पत्र रद्द हो जायेगा, यदि व्यक्ति अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित संगठन को छोड़ देता है।
4. संस्था/सक्षम व्यक्ति द्वारा कारखाने में उपकरणों के परीक्षण की तिथि/अवधि से सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक निदेशक कारखाना/ब्यायलर को परीक्षण की तिथि से पूर्व लिखित रूप से अवगत कराया जाएगा।
5. सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त संस्था परीक्षा परीक्षण और निरीक्षण करने के लिये अपने द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम, पदनाम और अर्हताओं से मुख्य निरीक्षक को सूचित करता रहेगा।
6. "सक्षम व्यक्ति" द्वारा जारी किये गये परीक्षा, परीक्षण और निरीक्षण प्रमाण पत्र एवं उनकी प्रतियों पर सक्षमता प्रमाण पत्र सं०-126...स० प्र० उत्तराखण्ड/धारा-31/प्रे०प्लान्ट/2024 निश्चित रूप से अंकित किया जायेगा।
7. परीक्षा परीक्षण और निरीक्षण का प्रमाण पत्र संस्था मै० के०आर० टैक्नोसेफ इंजीनियर्स, द्वितीय तल, 9 ऑफिस स्पेस, ओमेक्स एवेन्यू, रायबरेली रोड, लखनऊ के श्री आलोक कुमार तिवारी (प्रोपराईटर) द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।
8. "सक्षम व्यक्ति"/संस्था द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले उपकरणों को निरंतर अच्छी एवं कार्य योग्य दशा में बनाये रखा जायेगा और समय समय पर कैलिब्रेट भी किया जाता रहेगा तथा उसका प्रमाण पत्र कैलिब्रेशन के 15 दिन के अंदर मुख्य कारखाना निरीक्षक उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जायेगा।
9. "सक्षम व्यक्ति" द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्रों की सूची जिसमें कारखानों के नाम एवं उपकरणों के विवरण की सूचना हो, प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने के 10 दिन के अन्दर मुख्य कारखाना निरीक्षक उत्तराखण्ड को निश्चित रूप से प्रेषित किया जायेगा।
10. कारखाना परिसर में उक्त धारा से सम्बन्धित उपकरणों के परीक्षण किये जाते समय स्वयं व कारखाने के अधिष्ठाता/प्रबन्धक/सैपटी आफीसर के साथ परीक्षण स्थल के सम्मुख खड़े होकर एक फोटो ग्राफ, तथा सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी किये जाने वाले सक्षमता प्रमाण पत्र पर Serial No- अंकित हो, की प्रति के साथ E-mail द्वारा मुख्य कारखाना निरीक्षक को एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।
11. सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रेशर वेशल्स के Non diestrutive test के विभिन्न स्थानों की मोटाई को Drawing बनाकर तथा न्यूनतम मोटाई को लेकर सुरक्षित कार्यभार की गणना कर Drawing तथा गणना की एक hard /Soft प्रति कारखाना प्रबन्धकों तथा एक प्रति मुख्य कारखाना निरीक्षक उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जाना होगा।

स्थान - हल्द्वानी।

दिनांक:-


(दीप्ति सिंह)

मुख्य कारखाना निरीक्षक, उत्तराखण्ड,
श्रम भवन, हल्द्वानी नैनीताल।